Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के प्रकरणों में जारी तलाशी अभियान में मिली करोडों रुपयों की चल–अचल सम्पतियां

जयपुर, 21 नवम्बर। **राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेन्स नीति व भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आय से अधिक सम्पति भ्रष्ट साधनों से अर्जित करने के विरूद्ध** ए.सी.बी. ने तीन विभिन्न अधिकारियों की आसूचना एकत्र कर शुक्रवार को एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा किये गये तलाशी अभियान में आरोपी अधिकारियों के आवासों से करोड़ो रूपये मूल्य की चल–अचल सम्पतियों का खुलासा हुआ है।

ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि **प्रथम प्रकरण श्री गिरीश कुमार जोशी, अधीक्षण अभियंता ए.वी.वी.एन.एल. उदयपुर** के विरूद्ध दर्ज किया जाकर उनके 4 स्थानों पर विभिन्न टीमों द्वारा तलाशी की गयी, जिसमें चल–अचल सम्पतियों के बहुत सारे दस्तावेज मिले है। जिनमें श्योभागपुरा, उदयपुर में खसरा नं0 871 में व्यावसायिक भूखण्ड, ग्राम कुण्डाल में आराजी संख्या 4399/1420 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, ग्राम पावडिया बडगांव उदयपुर में कुल रकबा 9.10 बिस्वा कृषि भूमि, आर्शीवाद नगर उदयपुर में भूखण्ड संख्या 22–23 कुल 2600 वर्गफीट, ग्राम सौभागपुरा में कृषि भूखण्ड संख्या 1 व 2, आराजी संख्या 878 में कुल क्षेत्रफल 6896, बेनामी कृषि भूमि के अनुबंध पत्र कुल कीमत 50 लाख, पटवार हल्का इसवाल में आराजी संख्या 288 कुल रकबा 303.14 हैक्टयर कृषि भूमि, नाथद्वारा में 1 मकान, विभिन्न बैकों यथा एसबीआई, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई सहकारी बैंक एवं डाक घर में कुल 23 बैंक खातें, जिनमें लगभग 25 लाख रूपये जमा राशि, नगद राशि 4 लाख 13 हजार रूपये, 315 ग्राम सोने के आभुषण मिले हैं। उपरोक्त चल–अचल सम्पतियों की वर्तमान प्रचलित बाजार कीमत **करीब 20 करोड रुपये** से अधिक होने का अनुमान है।

द्वितीय प्रकरण श्री चिरंजीलाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बूंदी के विरूद्ध दर्ज किया जाकर उनके 4 ठिकानों पर विभिन्न टीमों द्वारा तलाशी की गयी, जिसमें चल–अचल सम्पतियों के काफी दस्तावेज मिले है। जिनमें ज्ञान सरोवर बूंदी रोड कोटा में भूखण्ड सं. सी–29, लैण्डमार्क सिटी कोटा में भूखण्ड सं0 ए–16, पार्श्वनाथ एन्क्लेव, नान्ता कोटा में फ्लैट सं0 एल–122, कानाकुंज ग्राम बालिता में भूखण्ड सं0 24–25, पत्नी श्रीमती द्रौपदी के नाम से जमीन क्रय करने के दस्तावेज, बैंक खाते एस.बी.आई./एच.डी.एफ.सी. में लाखों रुपये जमा कराने के दस्तावेज, चौपहिया वाहन मारूति ब्रेजा व अल्टो, दो दोपहिया, विभिन्न व्यक्तियों के नाम से लाखों रुपये के चैक, स्वयं एवं परिजनों के नाम से लाखों रुपये के बीमा संबंधी दस्तावेज, कस्बा लाखेरी में मकान एवं 5 बीधा कृषि भूमि के दस्तावेज, 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोना चांदी के आभूषण मिले हैं। उपरोक्त चल–अचल सम्पतियों की वर्तमान प्रचलित बाजार कीमत **करीब 13 करोड रूपये** होने का अनुमान है।

तृतीय प्रकरण श्री सतीश कुमार गुप्ता सीनियर डी.जी.एम. (सिविल) रीको जयपुर (जो अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी है) के विरूद्ध दर्ज कर इनके 2 स्थानों पर विभिन्न टीमों द्वारा तलाशी की गयी जिसमें निम्न चल–अचल सम्पतियों के बहुत सारे दस्तावेज मिले है। जिनमें अलवर में 20 बीधा कृषि भूमि, अलवर में 4 मकान एवं 21 दुकानो के कागजात, जयपुर में 15 आवासीय भूखण्डो के कागजात 1 फ्लेट व 1 मकान के कागजात, वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1 फ्लेट के कागजात, वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1 फ्लेट के कागजात, विभिन्न बैकों में 20 खाते, 1 किलो 400 ग्राम सोने व 3 किलो चांदी के आभुषण कीमत अनुमानत् 80 लाख, 2 बैकों में लॉकर, 1 अर्टिका कार मिले हैं। उपर्युक्त चल–अचल सम्पतियों की वर्तमान प्रचलित बाजार कीमत **करीब 20 करोड रूपये** होने का अनुमान है।

उक्त सभी प्रकरणों में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी अभियान का पर्यवेक्षण श्री दिनेश एम.एन. अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में इन्टेलिजेन्स शाखा के अति. पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा एवं अन्य टीमों द्वारा किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के प्रकरणों में जारी तलाशी अभियान में मिली करोडों रुपयों की चल–अचल सम्पतियां

जयपुर, 21 नवम्बर। **राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेन्स नीति व भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आय से अधिक सम्पति भ्रष्ट साधनों से अर्जित करने के विरूद्ध** ए.सी.बी. ने तीन विभिन्न अधिकारियों की आसूचना एकत्र कर शुक्रवार को एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा किये गये तलाशी अभियान में आरोपी अधिकारियों के आवासों से करोड़ो रूपये मूल्य की चल–अचल सम्पतियों का खुलासा हुआ है।

ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि **प्रथम प्रकरण श्री गिरीश कुमार जोशी, अधीक्षण अभियंता ए.वी.वी.एन.एल. उदयपुर** के विरूद्ध दर्ज किया जाकर उनके 4 स्थानों पर विभिन्न टीमों द्वारा तलाशी की गयी, जिसमें निम्न चल–अचल सम्पतियों के दस्तावेज मिले है :– श्योभागपुरा, उदयपुर में खसरा नं0 871 में व्यावसायिक भूखण्ड ग्राम कुण्डाल में आराजी संख्या 4399/1420 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम पावडिया बडगांव उदयपुर में कुल रकबा 9.10 बिस्वा कृषि भूमि आर्शीवाद नगर उदयपुर में भूखण्ड संख्या 22–23 कुल 2600 वर्गफीट ग्राम सौभागपुरा में कृषि भूखण्ड संख्या 1 व 2 आराजी संख्या 878 में कुल क्षेत्रफल 6896 बेनामी कृषि भूमि के अनुबंध पत्र कुल कीमत 50 लाख पटवार हल्का इसवाल में आराजी संख्या 288 कुल रकबा 303.14 हैक्टयर कृषि भूमि विभिन्न बैकों यथा एसबीआई, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई सहकारी बैंक एवं डाक घर में कुल 23 बैंक खातें, जिनमें लगभग 25 लाख रूपये जमा राशि नगद राशि 4 लाख 13 हजार रूपये 315 ग्राम सोने के आभुषण नाथद्वारा में 1 मकान

1.	श्योभागपुरा, उदयपुर में खसरा नं0 871 में व्यावसायिक भूखण्ड
2.	ग्राम कुण्डाल में आराजी संख्या 4399/1420 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा
3.	ग्राम पावडिया बडगांव उदयपुर में कुल रकबा 9.10 बिस्वा कृषि भूमि
4.	आर्शीवाद नगर उदयपुर में भूखण्ड संख्या 22–23 कुल 2600 वर्गफीट
5.	ग्राम सौभागपुरा में कृषि भूखण्ड संख्या 1 व 2 आराजी संख्या 878 में कुल क्षेत्रफल 6896
6.	बेनामी कृषि भूमि के अनुबंध पत्र कुल कीमत 50 लाख
7.	पटवार हल्का इसवाल में आराजी संख्या 288 कुल रकबा 303.14 हैक्टयर कृषि भूमि
8.	विभिन्न बैकों यथा एसबीआई, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई सहकारी बैंक एवं डाक घर में कुल 23 बैंक खातें, जिनमें लगभग 25 लाख रूपये जमा राशि
9.	नगद राशि 4 लाख 13 हजार रूपये
10.	315 ग्राम सोने के आभुषण
11.	नाथद्वारा में 1 मकान

उपर्युक्त चल–अचल सम्पतियों की वर्तमान प्रचलित बाजार कीमत कई करोडों रूपये होने का अनुमान है।

द्वितीय प्रकरण श्री चिरंजीलाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बूंदी के विरूद्ध दर्ज किया जाकर उनके 4 ठिकानों पर विभिन्न टीमों द्वारा तलाशी की गयी, जिसमें निम्न चल–अचल सम्पतियों के दस्तावेज मिले है :–

1.	ज्ञान सरोवर बूंदी रोड कोटा में भूखण्ड सं. सी–29
2.	लैण्डमार्क सिटी कोटा में भूखण्ड सं0 ए–16

3.	पार्श्वनाथ एन्क्लेव, नान्ता कोटा में फ्लैट सं0 एल–122
4.	कानाकुंज ग्राम बालिता में भूखण्ड सं0 24–25
5.	पत्नी श्रीमती द्रौपदी के नाम से जमीन क्रय करने के दस्तावेज
6.	बैंक खाते एस.बी.आई./एच.डी.एफ.सी. में लाखों रुपये जमा कराने के दस्तावेज
7.	चौपहिया वाहन मारूति ब्रेजा व अल्टो, दो दोपहिया एक मोटरसाइकिल व स्कूटी
8.	विभिन्न व्यक्तियों के नाम से लाखों रुपये के चैक
9.	स्वयं एवं परिजनों के नाम से लाखों रुपये के बीमा संबंधी दस्तावेज
10.	कस्बा लाखेरी में मकान एवं 5 बीधा कृषि भूमि के दस्तावेज
11.	10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोना चांदी के आभूषण

उपर्युक्त चल–अचल सम्पतियों की वर्तमान प्रचलित बाजार कीमत कई करोडों रूपये होने का अनुमान है।

तृतीय प्रकरण श्री सतीश कुमार गुप्ता सीनियर डी.जी.एम. (सिविल) रीको जयपुर (जो अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी है) के विरूद्ध दर्ज कर इनके 2 स्थानों पर विभिन्न टीमों द्वारा तलाशी की गयी जिसमें निम्न चल–अचल सम्पतियों के दस्तावेज मिले है :–

1.	अलवर में 20 बीधा कृषि भूमि
2.	अलवर में 4 मकान एवं 21 दुकानो के कागजात
3.	ज्यपुर में 15 आवासीय भूखण्डो के कागजात, 1 फ्लेट व 1 मकान के कागजात
4.	वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1 फ्लेट के कागजात
5.	विभिन्न बैकों में 20 खाते
6.	1 किलो 400 ग्राम सोने व 3 किलो चांदी के आभुषण कीमत अनुमानत् 72 लााख
7.	2 बैकों में लॉकर
8.	1 अर्टिका कार

उपरोक्त चल–अचल सम्पतियों की वर्तमान प्रचलित बाजार कीमत कई करोडों रूपये होने का अनुमान है।

उक्त सभी प्रकरणों में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी अभियान का पर्यवेक्षण श्री दिनेश एम.एन. अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में इन्टेलिजेन्स शाखा के अति. पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा एवं अन्य टीमों द्वारा किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।